

ताराख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व ताराख अहकाम जज हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.09.2019	<p>वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा मात्र खाता विभाजन का है। जिसे स्वीकार फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि मेरा काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाते हुवे दावा स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।</p> <p>हमने वकूलाय फरीकैन की बहस के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिससे वादीगण का यह वाद पत्र एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 19 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर की जावे। बसरे इजलास सुनाया गया।</p>	



(रमेश देव)  
उपसुण्ड अधिकारी  
नोखा

